राजस्व आदेश अनुवृत्ति– पत्र

मामला क्रमांक –202412122100072 अ–62 वर्ष 2024

(1)	(2)	(3)
30.5.25	– प्रकरण नायब तहसीलदार सरायपाली से प्राप्त। – प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक मकुन्द साहू पिता बहादुल साहू निवासी ग्राम अमलीपदर पहनं 0 51 राजस्व निरीक्षक मंडल छुईपाली तहसील सरायपाली जिला महासमुन्द के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम अमलीपदर में स्थित भूमि ख0नं0 127 रकबा 1.06 हे0 भूमि पर शासन के सहायता से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अतंर्गत रोपण की स्वीकृति होने से उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों को काटकर सफाई करने की अनुमति प्रदाय किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने पर जांच प्रतिवेदन हेतु नायब तहसीलदार सरायपाली को भेजा गया। –प्रकरण को उचित शीर्ष में दर्ज किया जाकर ईश्तहार का प्रकाशन किया गया। नियत तिथि तक कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। –प्रकरण में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, वन परिक्षेत्राधिकारी सरायपाली का संयुक्त जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, वन परिक्षेत्राधिकारी. द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेखित है कि ग्राम अमलीपदर में स्थित ख0नं0 127 रकबा 1.06 हे० में संलग्न सूची के अनुसार 84 नग हरे वृक्ष, 08 नग सूखे वृक्ष कुल 92 नग खड़े वृक्ष रकबा 0.50 हे० पर पाए गए जबकि 0.40 हे0 पड़त भूमि व शेष भूमि 0.16 हे0 पर धान पाया गया। उक्त वृक्षों की सूची प्रकरण में संलग्न है। ग्राम अमलीपदर में वाद–भूमि ख0नं0 127 रकबा 1.06 हे0 भूमि पर शासन के सहायता से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अंतर्गत छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के तहत उपरोक्त वृक्ष को काटने की अनुमिति दिये जाने की अनुशंसा नायब तहसीलदार सरायपाली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम अमलीपदर में वाद–भूमि ख0नं0 127 रकबा 1.06 हे0 भूमि पर लगे वृक्ष का जांच किया गया। जिसमें 07 नग सागौन एवं 01 नग बीजा वृक्ष कुल 08 नग सुखे हुए वृक्ष पाया गया। अतः शासन के सहायता से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अंतर्गत छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के तहत	

ग्राम अमलीपदर में वाद–भूमि ख0नं0 127 रकबा 1.06 हे0 भूमि पर लगे वृक्ष का जांच किया गया। जिसमें 07 नग सागौन एवं 01 नग बीजा वृक्ष कुल 08 नग सुखे हुए वृक्ष को काटने की अनुमिति दिया जाता है। पृथक से अनुमति आदेश जारी हो। प्रकरण में शेष कार्यवाही नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा. रि. हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सरायपाली

अनुविभागीय अधिकारी
सरायपाली

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ0ग0)

// प्ररूप–ड //

(नियम 7 (2) देखिये)

अनुमति

क्रमांक /794/क/वा–1/अ.वि.अ./2025 सरायपाली दिनांक 30/05/2025

प्रति,

श्री मकुन्द साहू पिता बहादुल साहू
ग्राम अमलीपदर पटवारी हल्का नंबर 51
तहसील सरायपाली थाना बलौदा
जिला महासमुद (छ.ग.)

विषय :– प्राकृतिक रूप से उगे सुखे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

–00–

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 18/10/2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जाच हेतु नायब तहसीलदार सरायपाली को भेजा गया। नायब तहसीलदार सरायपाली द्वारा राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक जारी किया गया । संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25/11/2024 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है– खाते में सुखे 07 नग सागौन एंव 01 नग बीजा वृक्ष कुल 08 नग सुखे हुए वृक्ष है। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत रोपण की स्वीकृति होने के कारण वृक्षों को काटे जाने की अनुशंसा की गई है। 1 अधिसूचना क एक 4–34/2021/सात–दिनांक 9–11–2022 द्वारा शब्द अनुशंसा के स्थान पर प्रतिस्थापित, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधरण) दिनांक 9–11–2022 पृष्ठ 1290 (1) पर प्रकाशित अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि खसरा नंबर 127 ग्राम अमलीपदर प.ह.नं. 51 तहसील सरायपाली स्थित वृक्ष 07 नग सागौन एंव 01 नग बीजा वृक्ष कुल 08 नग सुखे हुए वृक्ष है. मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत रोपण की स्वीकृति होने के कारण काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क0 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग सरायपाली
जिला महासमुंद (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /794(1)/क/वा–1/अ.वि.अ/2025 सरायपाली दिनांक 30/05/2025

प्रतिलिपि :–

1– कलेक्टर महोदय महासमुंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित् ।

2– वन मंडलाधिकारी महासमुंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित् ।

3– नायब तहसीलदार सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4– अनुविभागीय अधिकारी वन सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5– वन परिक्षेत्राधिकारी सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग सरायपाली
जिला महासमुंद (छ.ग.)